संख्या-874/2017/2335/22-2-2017-17(30)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 14 नवम्बर, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मासूम खां पुत्र श्री पीरू खां, निवासी जनपद-गोण्डा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या-32403/प्रोबेशन-3 (एम-22-06-2017) दिनांक-07-09-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 07-09-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मासूम खां पुत्र श्री पीरू खां, ग्राम कटरा चरेरा, थाना कटरा बाजार, जनपद-गोण्डा का निवासी है। बन्दी ने अजीमुन्निशा के मॉ-बाप द्वारा उसका विवाह करने से मना करने के कारण दिनांक 30.03.1997 को छूरे/अस्तुरा से मारकर अजीमुन्निशा की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-254/1997 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-4, गोण्डा के आदेश दिनांक 24.08.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.04.2017 तक 20 वर्ष 00 माह 13 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 03 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा है कि बन्दी ने अजीमुन्निशा के मॉ-बाप द्वारा उसका विवाह करने से मना करने पर दिनांक 30.03.1997 को छूरे/अस्तुरा से वार कर अजीमुन्निशा की निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु-42 वर्ष लगभग है। बन्दी अपराध करने में अशक्त नहीं है। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मासूम खां पुत्र श्री पीरू खां, निवासी जनपद-गोण्डा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मासूम खां (बन्दी संख्या-1070/2007) पुत्र श्री पीरू खां, निवासी जनपद-गोण्डा को फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-874/2017/2335(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-गोण्डा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-874/2017/2335@22-2-2017-17(30)/2013

दिनांक 14 नवम्बर, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मासूम खां (बन्दी संख्या-1070/2007) पुत्र श्री पीरू खां, ग्राम कटरा चरेरा, थाना कटरा बाजार, जनपद-गोण्डा का निवासी है। बन्दी ने अजीमुन्निशा के मॉ-बाप द्वारा उसका विवाह करने से मना करने के कारण दिनांक 30.03.1997 को छूरे/अस्तुरा से मारकर अजीमुन्निशा की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-254/1997 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-4, गोण्डा के आदेश दिनांक 24.08.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.04.2017 तक 20 वर्ष 00 माह 13 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 03 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा है कि बन्दी ने अजीमुन्निशा के मॉ-बाप द्वारा उसका विवाह करने से मना करने पर दिनांक 30.03.1997 को छूरे/अस्तुरा से वार कर अजीमुन्निशा की निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु-42 वर्ष लगभग है। बन्दी अपराध करने में अशक्त नहीं है। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मासूम खां पुत्र श्री पीरू खां, निवासी जनपद-गोण्डा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in